



बिहार सरकार, कृषि विभाग

बिहार कोल्ड स्टोरेज अधिनियम एवं नियमावली



संकलन

उद्यान निदेशालय

प्रथम तल, रात भवन, बेली रोड, पटना-800001

फोन : 0612-2521772, फैक्स : 0612-2521776

e-mail : dir-bhds-bih@nic.in, website : www.horticulture.bih.nic.in



बिहार कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1992

अनुज्ञप्ति नियमावली - 1993

सेशोधित अधिनियम - 2000

सेशोधित नियमावली - 2002

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

विधि विभाग अधिसूचना

26 श्रावण 1914 (श०)

(स० पटना 448) पटना, सोमवार 17 अगस्त 1992

सौजन्य :

बिहार सरकार कृषि विभाग उद्यान निदेशालय

पंत भवन, बेली रोड, पटना (बिहार)



विधि विभाग

अधिसूचनाएँ

17 अगस्त, 1992

सं० एल० जी० 1-017/92 लेज०-387-बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल 17 अगस्त 1992 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है—

(बिहार अधिनियम सं० 17, 1992)

बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1992

बिहार राज्य में कोल्ड स्टोरेज को लाइसेंस देने, उनका पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के तत्कालीन वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो—

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1992 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस दिन से प्रवृत्त होगा जिस दिन राज्य सरकार बिहार गजट में प्रकाशित कर अधिसूचना द्वारा निर्गत करें।

2. परिभाषाएँ—जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) “कृषि उत्पादन” से अभिप्रेत है कृषि या उद्यान के उत्पादन, पशुपालन या मत्स्य संवर्द्धन और ऐसे समस्त खाद्य या पेय पदार्थ जो पूर्णतया या अंशतया इनमें से किसी से निमित्त हो।

(ख) “पर्पद” से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित कोल्ड स्टोरेज सलाहकार पर्पद,



(ग) "कोल्ड स्टोरेज" से अभिप्रेत है ऐसा परिवर्द्ध कक्ष जो इन्सुलेटेड हो और रेफ्रीजरेशन मशीनरी द्वारा यांत्रिक रूप से शीतित हो जिससे वहाँ पर स्टोर किये हुए कृषि उत्पाद को रेफ्रीजरेशन की अवस्था उपलब्ध हो सकें, किन्तु इसके अन्तर्गत वे रेफ्रीजरेशन कैबिनेट तथा शीतकारी संयंत्र (चिलिंग प्लान्ट्स) नहीं हैं जिसकी क्षमता 100 घन मीटर से न्यून हो,

(घ) "किरायादाता" से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद के स्टोर करने के लिए प्रभार देकर स्थान किराये पर ले,

(ङ) "अनुज्ञप्ति" से तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति,

(च) "अनुज्ञप्तिधारी" से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जिसे अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाय,

(छ) "अनुज्ञप्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य है निदेशक, उद्यान, बिहार और इसके अन्तर्गत—

(1) उद्यान निदेशालय का कोई अन्य अधिकारी जो जिला उद्यान अधिकारी के पद से नीचे का न हो,

(2) अनुमंडल अधिकारी के पद से नीचे का न हो,

(ज) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित,

(झ) "रसीद" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गयी कोल्ड स्टोरेज की रसीद एवं उस रसीद की दूसरी प्रति,

(ट) "अधिकरण" का तात्पर्य धारा 35 के अधीन गठित अधिकरण से,

(ठ) "नियत दिन" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि।

अध्याय-2

कोल्ड स्टोरेज सलाहकार पर्वद

2. पर्वद का गठन—राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक कोल्ड स्टोरेज सलाहकार पर्वद गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा—

(क) कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार—सभापति,

(ख) भारत सरकार के कृषि मंडी सलाहकार का एक प्रतिनिधि,

(ग) सचिव, विधि विभाग,

(घ) उद्योग निदेशक, बिहार,

(ङ) निबन्धक, सहकारी समितियाँ, बिहार,

(च) प्रबन्ध निदेशक, कृषि विपणन पर्वद,

(छ) प्रशासक, विस्कोमान,

(ज) आलू उत्पादनकर्ता का 2 (दो) प्रतिनिधि, बिहार विधान सभा के दो सदस्य तथा कोल्ड स्टोरेज का एक मालिक (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत),

(झ) निदेशक, उद्यान, बिहार—सदस्य-सचिव

4. पर्वद के कृत्य एवं कार्य—(1) पर्वद निम्नलिखित कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करेगा—

(क) कोल्ड स्टोरेज को अनुज्ञप्ति देने से सम्बन्धित नीति-विषयक मामलों और उससे सम्बद्ध विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना,

(ख) कोल्ड स्टोरेज के वैज्ञानिक नियोजन, अनुरक्षण विकास और विस्तार के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देना और राज्य में कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के समन्वय के लिये उचित कार्यवाही का सुझाव देना,

(ग) राज्य सरकार को ऐसे अन्य विषयों पर जो राज्य सरकार द्वारा पर्वद को निर्दिष्ट किये जाएं या जो विहित किये जाएं सलाह देना।

(2) पर्वद का कार्य विहित रीति से संचालित किया जायेगा।

अध्याय-3

कोल्ड स्टोरेज को अनुज्ञप्ति देना

5. अनुज्ञप्ति—नियत दिन से कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों और निबंधनों के अधीन और अनुसरण के सिवाय, कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद को स्टोर करने का कारोबार नहीं करेगा।

6. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन-पत्र—(1) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र अनुज्ञापन अधिकारी को विहित प्रपत्र में और विहित फीस के साथ दिया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति नहीं दिया जायेगा यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि—

(क) कोल्ड स्टोरेज विहित विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है,

(ख) कोल्ड स्टोरेज उस वर्ग के माल को स्टोर करने के उपयुक्त नहीं है जिसके लिए यह आशयित है,

(ग) आवेदन-पत्र के साथ विहित फीस नहीं है,



(घ) आवेदक किसी कपट या दुर्व्यपदेशन का दोषी है,

(ङ) आवेदक इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अपराध के लिये सिद्ध दोषी है।

7. अनुज्ञप्ति की अवधि और नवीकरण—(1) धारा 6 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति विहित अवधि के लिए विधिमान्य होगा और उस निमित्त आवेदन-पत्र और विहित फीस के देने पर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा, समय-समय पर अग्रेतर विहित अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकता है।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति नवीकृत नहीं किया जायेगा, यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि—

(क) धारा 6 की उप-धारा (2) में उल्लिखित कारणों में से कोई कारण विद्यमान है,

(ख) अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने का दोषी है,

(ग) आवेदन-पत्र से धारा 44 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किसी निदेश का उल्लंघन होता है।

8. अनुज्ञप्ति का निलम्बन और रद्द किया जाना—(1) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द किया जा सकता है, यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि—

(क) धारा 7 की उप-धारा (2) में उल्लिखित कारणों में से कोई कारण विद्यमान है,

(ख) अनुज्ञप्तिधारी ने कोल्ड स्टोरेज के कब्जा या नियंत्रण को पूर्णतः या अंशतः अन्तरित कर दिया है या उसने उसको चलाना बंद कर दिया है।

(2) जहां कोई अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द किया जाय वहां अनुज्ञप्तिधारी न तो उसके लिये किस प्रतिकर का हकदार होगा न अनुज्ञप्ति के लिये अपने द्वारा दी गई किसी फीस का वापस पाने का हकदार होगा।

9. नया कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए अनुज्ञप्ति—(1) कोई व्यक्ति कोई नया कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना उसे नहीं बनायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र में और विहित फीस के साथ अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को दिया जायेगा,

(3) उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति देते समय अनुज्ञप्ति प्राधिकारी निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा—

(क) जिस क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज बनाने की मांग है, उस क्षेत्र में परिचालित कोल्ड स्टोरेजों की संख्या,

(ख) ऐसे क्षेत्र में कृषि उत्पाद की उपलब्धता,

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

(4) उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति देते समय अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अधिनियम के अधीन ऐसी शर्तें आरोपित कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

10. कारण का अभिलिखित किया जाना—(1) धारा 6 के अधीन अनुज्ञप्ति देने से इन्कार करने या धारा 7 के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इन्कार करने या धारा 8 के अधीन अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द करने या धारा 9 के अधीन अनुज्ञप्ति देने से इन्कार करने का प्रत्येक आदेश लिखित होगा और उसमें उसके समर्थन में कारण दिये जायेंगे,

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आदेश देने के लिये अनुज्ञप्ति प्राधिकारी यथास्थिति आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा :

परन्तु, जब लोकहित में तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो तब अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, इस धारा के अधीन किसी नोटिस के बिना कोई अनुज्ञप्ति निलंबित कर सकता है।

11. अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति—जहां कोई अनुज्ञप्ति खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विरूपित हो जाय या अन्यथा अपठनीय हो जाय, वहां अनुज्ञप्ति प्राधिकारी विहित रीति से और विहित फीस देने पर अनुज्ञप्ति का दूसरा प्रति जारी कर सकता है।

अध्याय-4

अनुज्ञप्तिधारी के दायित्व और कर्तव्य

12. जमा किये गये माल की युक्तियुक्त देखभाल—प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी अपने कोल्ड स्टोर किये गये माल की देखभाल उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार कि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति समान परिस्थितियाँ और दशाओं में अपने माल की देखभाल करता है।

13. सूचना के प्रदर्शन—प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी प्रतिदिन अपना कारोबार प्रारम्भ करने के पूर्व, कोल्ड स्टोरेज के प्रवेश द्वार पर या उसके निकट कोल्ड स्टोरेज के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित करेगा—

(क) कोल्ड स्टोरेज की कुल क्षमता (क्षेत्रफल और टन भार दोनों में)

(ख) वस्तुतः अध्यापित क्षमता (क्षेत्रफल और टन भार दोनों में),

(ग) रिक्त क्षमता (क्षेत्रफल और टन भार दोनों में)।

14. जमा करने के लिए माल स्वीकार करना—(1) (क) कोई अनुज्ञप्तिधारी स्टोर करने के लिए कृषि उत्पादन ग्रहण नहीं करेगा जिस कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये या किये जाने वाले अन्य कृषि उत्पाद को क्षति पहुंचने की संभावना हो और यदि यह प्रश्न उठे कि कोई कृषि उत्पाद ऐसा है कि उसे उपर्युक्त प्रकार की क्षति होने की संभावना है तो वह अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी यथास्थिति उद्यान निदेशालय के राजपत्रित अधिकारी या प्रखंड विकास अधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में और राजनीति से इस प्रकार प्रमाणित वास्तविक कृषकों के आलू के बीज को इस आधार पर स्टोर करने से इंकार नहीं करेगा कि इससे अन्य कृषि उत्पाद को क्षति पहुंचने की संभावना है।

(ख) कोल्ड स्टोरेज की ग्रहण क्षमता का एक खास प्रतिशत किरायादातों के लिए आरक्षित रहेगा और कोई भी कृषक आवश्यकतानुसार निर्धारित किराया का 10 प्रतिशत अग्रिम किराया के रूप में भुगतान कर आवश्यकतानुसार शेष भंडारण क्षमता का आरक्षण करायेगा। इस रिक्ति आरक्षित भंडारण क्षमता का उपयोग भी कृषक बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर कर लेना होगा। इस अवधि के समाप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी अन्य अभ्यर्थी का कृषि उत्पादन ग्रहण करेगा।

(2) उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई अनुज्ञप्तिधारी उचित कारण के बिना अपने कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद को ग्रहण करने से इंकार नहीं करेगा।

15. माल की पहचान और परिरक्षण—प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी अपने कोई स्टोरेज में प्रत्येक किरायादाता के कृषि उत्पाद को अन्य किरायादाता के ऐसे उत्पाद से तथा उसी किरायादाता के अन्य उत्पाद से जिसके लिए पृथक् रसीद दी गयी हो, अलग रखेगा जिससे कि माल सभी समय पर पहचाना जा सके और उसे सुगमतापूर्वक दिया जा सके :

परन्तु यह कि जब कोल्ड स्टोरेज में मानकीकृत और श्रेणीकृत माल स्टोर किये जाए वहां एक या विभिन्न किरायादाता एक ही प्रकार का माल, किसी प्रतिकूल सविदा के अधीन रहते हुए एक साथ रखा जा सकता है और इसमें से प्रत्येक किरायादाता, यथास्थिति, तौल या परिमाण के अनुसार जैसा उसकी रसीद में उल्लिखित हो, धारा 17 के स्पष्टीकरण के अधीन निश्चित सीमा तक सुखा या संकुचन को कम करते हुए केवल अपना भाग पाने का हकदार होगा।

16. अनुज्ञप्तिधारी किरायादाता को माल का निरीक्षण करने की सुविधा देगा—प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी ऐसे समय में, जैसा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी आदेश द्वारा निर्देश दें, किसी किरायादाता या उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को अपने माल का निरीक्षण करने और अपना यह समाधान करने की सुविधा देगा कि उसके माल की उचित देखभाल की जाती है।

17. कोल्ड स्टोरेज में माल खराब होना और उसका निस्तारण—(1) जब कभी किसी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया गया माल ऐसे कारण से जो अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से परे हो, खराब होने लगे या उसके खराब हो जाने की संभावना हो या किरायादाता कोल्ड स्टोर किये गये माल की रसीद में उसके लिए विनिर्दिष्ट दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर न उठाये तो अनुज्ञप्तिधारी किरायादाता को तुरन्त इस आशय का नोटिस देगा जिसमें उससे सम्यक् रूप से अनयोचित रसीद अभ्यर्पित करने और अनुज्ञप्तिधारी को देय समस्त प्रभार का भुगतान करने के पश्चात् माल को तुरन्त उठाने की अपेक्षा की जायेगी और ऐसे नोटिस की एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी को भेजेगी।

(2) जहां किरायादाता उप-धारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस का पालन उसे तामील किये जाने के दिनांक से सात दिन की अवधि के भीतर न करें वहां अनुज्ञप्तिधारी माल को कोल्ड स्टोरेज से हटवा सकता है और उसे किरायादाता के खर्च और जोखिम पर सार्वजनिक निलामी द्वारा विक्रय कर सकता है :

परन्तु अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को ऐसी विक्री की सूचना विक्री के कम-से-कम अड़तालीस घंटे पूर्व देगा और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ऐसी विक्री का पर्यवेक्षण या तो स्वयं या अपने द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से करेगा। प्राधिकृत पदाधिकारी का अनुमति के पश्चात् ही निलामी की जायेगी।

स्पष्टीकरण—सूखा या संकुचन द्वारा तौल या भार में कमी या नमी सोखने के कारण तौल या भार में वृद्धि को धारा के अन्तर्गत खराब होना समझा जायेगा, यदि उक्त कमी या वृद्धि ऐसी सीमा से अधिक हो जिसे अनुज्ञप्ति प्राधिकारी समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके निश्चित करें।

(3) यदि नमी सोखने या अन्य कारण से कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद की तौल या भार अधिक हो जाय तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे अधिक्य का हकदार न होगा।

18. माल की दिशा के संबंध में प्रज्ञापन—कोई व्यक्ति, जिसका किसी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल में या ऐसे माल से संबंधित किसी रसीद में कोई हित हो अनुज्ञप्तिधारी को इस तथ्य और अपने हित के स्वरूप से लिखित रूप से अवगत करा सकता है और अनुज्ञप्तिधारी उसका अभिलेख रखेगा और यदि ऐसा व्यक्ति लिखित रूप से यह निवेदन करें कि उसे माल की दिशा के संबंध में प्रज्ञापन किया जाय और ऐसे प्रज्ञापन के लिए वह विहित प्रभार देने के लिए सहमत हो तो अनुज्ञप्तिधारी उसे तदनुसार प्रज्ञापन करने के लिए बाध्य होगा।

19. माल का परिदान—(1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी किरायादाता द्वारा या उसको ओर से मांग किये जाने पर कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल का परिदान करेगा, परन्तु किरायादाता रसीद अभ्यर्पित करें और अनुज्ञप्तिधारी को देय समस्त प्रभार का भुगतान करें।

(2) अनुज्ञप्तिधारी को इस प्रकार अभ्यर्पित प्रत्येक रसीद विरूपित कर दी जायेगी और पुनः जारी नहीं की जायेगी।

(3) पक्षकारों के मध्य किसी करार के अधीन रहते हुए, किरायादाता कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल का परिदान आंशिक रूप से ले सकता है और प्रत्येक ऐसे मामले में अनुज्ञप्तिधारी रसीद पर उसका आवश्यक पृष्ठांकन करके उसे किरायादाता को लौटा देगा।

20. अनुज्ञप्तिधारी का स्वरूप—प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी जिसका कब्जा अपने कोल्ड स्टोरेज में माल पर हो, उस समय तक उस पर कब्जा रखने का हकदार होगा जबतक कि धारा 19 के अनुसार उसकी रसीद अभ्यर्पित न कर दी जाय और आवश्यक प्रभार का सम्यक् भुगतान न कर दिया जाय।

21. अनुज्ञप्तिधारी कोल्ड स्टोरेज में रखे गये माल को किरायादाता के प्राधिकार के बिना न गिरवी रखेगा और न उसके संबंध में कोई व्यवहार करेगा—कोई अनुज्ञप्तिधारी किरायादाता के लिखित प्राधिकारी के सिवाय कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये जाने के लिए प्राप्त माल को न तो गिरवी रखेगा और न किसी अन्य प्रकार से उसके संबंध में कोई व्यवहार करेगा।

22. किरायादाता के उधार पर व्याज की दर—यदि अनुज्ञप्तिधारी कोल्ड स्टोरेज में किरायादाता द्वारा स्टोर किये गये किसी माल पर किसी किरायादाता को कोई धन उधार दें तो व्याज की दर किसी भी दशा में उधार देते समय ऐसे ही प्रयोजनों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपने पक्ष में गिरवी रखे गये माल के संबंध में ली जाने वाली चालू व्याज की दर के अतिरिक्त एक प्रतिशत के आधे प्रतिवर्ष साधारण व्याज की दर से अधिक नहीं होगी।

23. बीमा—प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद का भाग, टूट-फूट (चाहे वह यांत्रिक या अन्य प्रकार का हो) या ऐसे हों अन्य कारण से होने वाली हानि का क्षति के लिए बीमा कराये।

24. हानि, नाश आदि के लिए प्रतिकार—इस अधिनियम में अन्यथा की गई व्यवस्था के सिवाय अनुज्ञप्तिधारी किरायादाता को अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल के संबंध में ऐसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गयी उपेक्षा, अवचार या व्यक्तिगत के कारण हुई प्रत्येक हानि, नाश, क्षति, खराबी या माल के अपरिदान के लिए प्रतिकार का देनदार होगा।

25. प्रतिकार संबंध विवाद अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा—(1) धारा 24 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय प्रतिकार संबंधी प्रत्येक विवाद अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा और धारा 36 के अधीन अपील यदि कोई हो तो परिणाम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

(2) जब अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय किसी प्रतिकार का भुगतान उप-धारा (1) के अधीन आदेश के दिनांक से या यथास्थिति धारा 36 के अधीन अधिकरण के विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के भीतर नहीं किया गया है तब वह समाहर्ता को वसूली का प्रमाण-पत्र जारी करेगा और समाहर्ता वसूली के खर्च सहित ऐसे प्रतिकार की राशि को भू-राजस्व की बकाया की

भांति वसूल करेगा और वसूल की गयी राशि का भुगतान, उसमें से खर्च काटने के पश्चात्, किरायादाता को करेगा।

26. अतिरिक्त राशि की वसूली का प्रतिरोध—कोई अनुज्ञप्तिधारी स्टोर करने या किरायादाता के प्रति की गई किसी अन्य सेवा के लिए धारा 29 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रभार के अतिरिक्त कोई राशि नहीं लेगा।

27. अनुज्ञप्तिधारी लेखा बही रखेगा—प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी विहित प्रपत्र में और रीति से लेखा बही अभिलेख रखेगा।

28. अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को निदेश जारी करने की शक्ति—प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए उसके द्वारा समय-समय पर जारी किये जायेंगे।

अध्याय-5

सेवा प्रभार

29. राज्य सरकार अधिकतम प्रभार निश्चित करेगी—राज्य सरकार, समय-समय पर अधिकतम प्रभार निश्चित करेगी जिसे अनुज्ञप्तिधारी कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद को स्टोर करने के लिए या उसके संबंध में की गई किसी अन्य सेवा के लिए ले सकता है, और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रभार निश्चित किये जा सकते हैं। प्रभार का निर्धारण सुविधाओं, उनसे जुड़े औसत, संभावित व्यय विश्लेषण, करों आदि को देखकर किया जायेगा। परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम बार इस धारा के अधीन जो अधिकतम प्रभार किसी कृषि उत्पाद के लिए निश्चित किया जायेगा वह ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के पहले लागू सेवा प्रभार तथा प्रभार निर्धारण के बिन्दुओं के आधार पर किया जायेगा।

30. प्रभार अधिसूचित किया जायेंगे—भाग-29 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निश्चित प्रभार सरकारी गजट में अधिसूचित किये जाएंगे।

31. पर्पद की घोषणा पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा—जहां धारा 3 के अधीन पर्पद गठित किया गया हो, वहां राज्य सरकार धारा 29 में निर्दिष्ट प्रभार निश्चित करने के पूर्व उसकी घोषणा पर विचार करेगी।

अध्याय-6

कोल्ड स्टोरेज की रसीद

32. रसीद देने का कर्तव्य—प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में ओर किये गये कृषि उत्पाद के लिए विहित प्रपत्र में रसीद देगा।

33. कोल्ड स्टोरेज की रसीद पृष्ठांकन और परिदान द्वारा अन्तरणीय होगी—धारा 32 में निर्दिष्ट रसीद जबतक कि उसमें अन्यथा, विनिर्दिष्ट हो, पृष्ठांकन और

परिदान द्वारा अन्तरणीय होगी और यथासमय उसका धारक उसमें विनिर्दिष्ट माल प्राप्त करने का हकदार होगा मानो वह मूल किरायादाता हो।

34. रसीद की दूसरी प्रति—यदि कोई रसीद खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विरूपित हो जाय या अन्य प्रकार से अपठनीय हो जाय तो अनुज्ञप्तिधारी किरायादाता द्वारा आवेदन-पत्र और विहित फीस देने पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए यदि कोई हो, जो विहित की जाय, रसीद की दूसरी प्रति जारी करेगा।

अध्याय-7

अधिकरण

35. अधिकरण का गठन—इस अधिनियम के अधीन एक अधिकरण होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे—

- (क) भारत सरकार का कृषि मण्डी सलाहकार-सभापति
- (ख) बिहार सरकार की विधि परामर्शी या उनके द्वारा निर्दिष्ट सदस्य उनके विभाग का कोई अधिकारी जो अपर विधि परामर्शी के स्तर से नीचे का न हो—सदस्य
- (ग) सरकार के कृषि विभाग के सचिव या उनके द्वारा उस विभाग का नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो—सदस्य

36. अपील—धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति देने से इन्कार करने या धारा 7 को उप-धारा (2) के अधीन उसका नवीकरण करने से इन्कार करने या धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन उसे निलम्बित या रद्द करने, या धारा 9 के अधीन अनुज्ञप्ति देने से इन्कार करने या धारा 14 की उप-धारा (1) या धारा 25 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विवाद के विनिश्चय विषयक अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अधिकरण में अपील कर सकता है और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

अध्याय 8

शक्तियाँ और प्रक्रिया

37. शासित—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम, आदेश का निदेश के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति सिद्ध-दोष होने पर दो वर्ष तक के कारावास या दस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जायेगा।

38. कम्पनियों द्वारा अपराध—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन के प्रभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उक्त अपराध का दोषी माना जायेगा और धारा 37 के अधीन दण्ड दिये जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उप-धारा की किसी बात से कार्य संचालन के प्रभारी किसी दण्ड का भागी

नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिये सभी आवश्यक कार्रवाई की थी।

(2) उप धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जबकि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबंध अधिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मनोनुकूलता से किया गया या उपेक्षा-जनित हैं तो वह प्रबन्ध अधिकर्ता, सचिव कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) कम्पनी का तात्पर्य किसी नियमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है और

(ख) “निदेशक” का तात्पर्य किसी फर्म के संबंध में, उस फर्म के भागीदार से है।

39. अपराध का संज्ञान—(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

(2) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई न्यायालय ऐसे किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

40. अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की शक्ति—(क) अनुज्ञप्ति पदाधिकार किसी अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे सूचना, जिसे यह अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व में या उसके द्वारा चलाये जानेवाले कोल्ड स्टोरेज के संबंध में विनिर्दिष्ट करें, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(ख) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तो वह किसी कोल्ड स्टोरेज में प्रवेश कर सकता है और उसका, उसकी मशीन तथा सज्जा उसमें स्टोर किये गये माल और उससे संबंधित लेखाबहियों और अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है, या उनका निरीक्षण करा सकता है।

(ग) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी किसी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद के नमूने ले सकता है और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित की गयी किसी प्रयोगशाला में उनका विश्लेषण, परीक्षण या जांच करा सकता है।

41. सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण—(1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।



(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य से हुई किसी क्षति के लिए या जिसके होने की संभावना हो राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

42. आदेशों के संबंध में अपवाद—इस अधिनियम अथवा इसके अधीन किसी शक्ति के प्रयोग में किये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

43. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या विधि संप्रभावी किसी लिखित में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।

44. राज्य सरकार द्वारा निर्देश—इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी नीति संबंधी विषयों पर राज्य सरकार के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जिन्हें राज्य सरकार स्वयं या पर्यटन की सलाह जारी करें।

45. नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन में जबकि वह सत्र में हो, एक या एकाधिक कार्यायन सत्र में कम-से-कम चौदह दिनों तक रखे जाएंगे और जब तक वाद की तारीख निर्धारित न हो शासकीय गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे तथा राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा उक्त अवधि के दौरान किए गए उपरान्त या वातिलीकरण के अध्वधीन होंगे परन्तु ऐसा उपान्तरण या वातिलीकरण का विधिमाम्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इसके अधीन उसके पहले किए हो।

46. निरसन और व्यावृत्ति—बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1992 (बिहार अध्यादेश सं० 20, 1992) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी अध्यादेश के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

17 अगस्त, 1992

सं० एल० जी० 1-017/92 लंज०-388 बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा 17 अगस्त, 1992 को अनुमत बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1992 (बिहार अधिनियम सं० 17, 1992) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय सर्वविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन तथा अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा—

□ □ □

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 फाल्गुन 1914 (श०)

(स० पटना 123) पटना बुधवार 24 फरवरी 1993

कृषि विभाग

अधिसूचना

22 फरवरी, 1993

जी०एस०आर० 13, दिनांक 24 फरवरी, 1993—बिहार-राज्यपाल बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1992 (बिहार अधिनियम 17, 1992) की धारा 45 की उप-धारा 45 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

नियमावली

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभ—

(1) यह नियमावली बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अनुज्ञप्ति नियमावली 1993 कही जा सकेगी।

(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में प्रभावी होगी।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं—जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

(1) “कलेण्डर वर्ष” से तात्पर्य है पहली जनवरी से इक्कीस दिसम्बर तक की अवधि

(2) “प्रपत्र” से तात्पर्य है इस नियमावली से उपाबद्ध प्रपत्र

(3) “अधिनियम” से तात्पर्य है बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1992 (बिहार अधिनियम 17, 1992)।

(4) “अनुसूची” से तात्पर्य है इस नियमावली से उपाबद्ध अनुसूची

(5) “धारा” से तात्पर्य है अधिनियम की धारा

(6) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्द तथा पदावली के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये अधिनियम में दिए गए हैं।

3. अनुज्ञप्ति की शर्तें एवं निबंधित—धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन दी गयी या



- धारा (7) की उप-धारा (1) के अधीन नवीकृत अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों और निबंधनों के अधीन होगी—
- (1) आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया विवरण सही, पूर्ण तथा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के पूर्ण सन्तोषप्रद होना चाहिए।
 - (2) कोल्ड स्टोरेज धारा 6 के विनिर्देशों के अनुरूप हो और रहे तथा अन्य विनिर्देशों का अनुपालन हो।
 - (3) किरायादाताओं को स्टोर किए गए या स्टोर किये जानेवाले कृषि उत्पादन का निरीक्षण करने, तौलवाने, मापने, नमूना लेने और श्रेणीकरण करने की सुविधा दी जायेगी।
 - (4) अनुज्ञप्ति सदैव कोल्ड स्टोरेज के भू-गृह में रखी जायेगी और निरीक्षण तथा जाँच के लिये अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत की जायेगी।
 - (5) अनुज्ञप्तिधारी केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कृषि उत्पादन शुल्क लगाने सम्बन्धी बनाए गये नियमों का पालन करेगा।
 - (6) परिसर जिसमें कोल्ड स्टोरेज अधिष्ठित हो, स्वच्छ होगा। कोल्ड स्टोरेज के भीतर प्रत्येक 40-45 वर्ग सेंटीमीटर (5 वर्गफुट) स्थान के निमित्त एक वाट की दर से विद्युत् प्रकाश की व्यवस्था की जायेगी।
 - (7) (क) समस्त प्रांगण, बहिर्गृह, स्टोर तथा भू-गृहादि के आगम-द्वार जहाँ कोल्ड स्टोरेज अधिष्ठित हो स्वच्छ और शुद्ध रखे जाएँगे।
(ख) कोल्ड स्टोरेज और भू-गृहादि जिसमें वह स्थित हो, में निस्संक्रमण और दुर्गन्ध हरण की सौकरिया या उपचार उतनी बार किया जायेगा जितनी बार आवश्यक हो और कम-से-कम एक कलेण्डर वर्ष में एक बार किया जायेगा।
 - (8) अनुज्ञप्तिधारी कोई ऐसा उत्पादन कोल्ड स्टोरेज में स्टोर नहीं करेगा जो कृषि उत्पादन से विपरीत अथवा शीघ्र विरोधी हो। विपरीत गन्ध वाले उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज के पृथक् कक्षों में स्टोर किये जायेंगे।
 - (9) किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को कोल्ड स्टोरेज में काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। कोल्ड स्टोरेज में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों से भिन्न कर्मचारियों के इस परीक्षण या प्रबंध, कि वे किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग अथवा अन्य रोग से ग्रस्त तो नहीं हैं, एक कलेण्डर वर्ष में कम-से-कम एक बार किया जायेगा।
 - (10) कोल्ड स्टोरेज के भीतर काम करने वाले कर्मचारियों के लिये ऐसे कपड़ों की व्यवस्था की जायेगी, जो उन्हें सदैव से बचाये। हिमांक बिन्दु से निम्नतर दशा में काम करने वाले कर्मचारियों के निमित्त बूट की व्यवस्था की जायेगी।
 - (11) वायु के वितरण तथा परिसंचरण और वस्तु लादने और उतारने के निमित्त निम्नलिखित अनुदेशों का अनुसरण किया जायेगा—

- (i) रेकों की दोनों पॉकियों के बीच 00.75 मीटर से कम स्थान न होगा
- (ii) रेक दीवारों। फरशों से कम-से-कम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जायेंगे।
- (iii) प्रत्येक रेक के उच्चतम शेल्फ में छत तथा लदान के मध्य कम-से-कम 30 सेंटीमीटर की खाली जगह रखी जानी चाहिए।
- (iv) किसी शेल्फ तथा अन्य शेल्फ के मध्य कम-से-कम 7.5 सेंटीमीटर खाली जगहें रखी जानी चाहिए :
परन्तु वह कि जब बोरे में स्टोर किया जाय तब उप-नियम (II) के खण्ड (I), (II), (III) के अधीन शर्तों का पालन करते समय निम्नलिखित निर्देश का भी अनुसरण किया जायेगा—
(क) एक स्टेक में एक दूसरे से ऊपर 6 से अधिक बोरे नहीं रखे जायेंगे।
(ख) प्रत्येक बोरे की कतार में 10 सेंटीमीटर की जगह छोड़ी जायेंगी।
(ग) स्टोर करने की अवधि के दौरान बोरो को दो बार ऊपर नीचे किया जायेगा और उन्हें इस प्रकार रखा जायेगा कि स्टेक में जो बोरा सबसे नीचे हैं वह सबसे ऊपर रखा जाय और कृषि उत्पादन स्टोर करने के 45 दिन के भीतर पहली बार और स्टोर करने के नब्बे दिनों के भीतर दूसरी बार बोरो को ऊपर-नीचे किया जायेगा।
- (12) कोल्ड स्टोरेज में ऐसे थर्मामीटर लगे होंगे जिनके द्वारा ड्राई बल्ब तथा वेट बल्ब ताप का पठन किया जा सके।
- (13) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी प्रपत्र में “लॉग बुक” रखेगा और उसमें तापमान तथा सापेक्ष आर्द्रता तथा कम्प्रेसर का भार-वाचन कोल्ड स्टोरेज के कार्य करण के दौरान प्रत्येक चार घंटों पर अहर्निश अंकित करेगा जब तक कि स्वचालित अभिलेख यंत्र अधिष्ठित न कर दिये गये हों। अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा इस निमित्त यथोचित रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्रत्येक निरीक्षण के मौके पर व्यक्तिगत रूप से अभिलेखों का सत्यापन करने के उपरान्त “लॉग बुक” पर हस्ताक्षर करेगा।
- (14) लगातार 24 घंटे से अधिक समय तक कोल्ड स्टोरेज के कार्य न करने की सूचना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को तुरन्त दी जायेगी। इस प्रकार कार्य बंद होने का कारण लॉगबुक में लिखा जायेगा और उसकी सूचना अनुज्ञप्तिधारी प्राधिकारी को दी जायेगी।
- (15) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी किसी कार्य दिवस के सामान्य कार्य समय में कोल्ड स्टोरेज में प्रवेश करने, निरीक्षण करने या परीक्षण करने या उसकी मशीन और उपकरण लेखा वहाँ पर स्टोर किये गए कृषि उत्पाद, उसके कार्यालय, बहियों, अभिलेखों, पत्रादि के परीक्षण या निरीक्षण करने के लिये सदैव ऐसी सुविधाएँ देगा जैसी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और ऐसी अपेक्षा की जाने पर

ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेगा जो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो।

- (16) यदि कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया गया माल, ऐसे कारणों से जो अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से परे हो, खराब होने लगे तो अनुज्ञप्तिधारी इसकी सूचना अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को तुरन्त देगा।
- (17) किसी शेल्फ या रैक को, जहाँ क्षतिग्रस्त या खराब हुआ कृषि उत्पादन स्टोर किया गया हो, या अस्थायी रूप से रखा गया हो, ऐसा उत्पाद हटाने या निस्तारित करने के पश्चात, तुरन्त स्वच्छ और निस्संक्रमित किया जायेगा।
- (18) जहाँ अनुज्ञप्तिधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में अपने नाम से कोई कृषि उत्पाद स्टोर करना चाहे, वहाँ वह ऐसा करने के लिये अनुज्ञा के निमित्त अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को लिखित आवेदन-पत्र देगा, जिसमें उसके द्वारा स्टोर किये जाने वाले कृषि उत्पाद का परिमाण, प्रकार और अवधि, जबतक के लिये इस प्रकार स्टोर करने का विचार हो, उल्लिखित की जायगी और अपने द्वारा विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद को स्टोर करना वस्तुतः प्रारम्भ करने के पूर्व अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त कर लेगा।
- (19) अनुज्ञप्तिधारी इसके संबंध में की गयी किसी अन्य सेवा के लिये, धारा 29 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निश्चित किये गये प्रभार को छोड़कर कोई अन्य प्रभार जैसे बीमा प्रभार, कृषि उत्पाद को तौलने, कोल्ड स्टोरेज की प्रसीमा से, जहाँ उत्पाद कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने के लिये किरायादाता द्वारा उतारा जाय, कृषि उत्पाद ले जाने, बोरों के ऊपर-नीचे करने और वापस करने के प्रयोजनार्थ उत्पाद को कोल्ड स्टोरेज से परिसीमा तक ले जाने के प्रयोजनार्थ श्रम संबंधी प्रभार तथा सुखाने, श्रेणीकरण करने छांटने और दुबारा बोरों में मरने आदि के लिये स्थान और उपस्कर की व्यवस्था करने के लिये प्रभार जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा न दी जाय, नहीं लेगा।

4. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन—

- (1) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति हेतु दिये जाने के लिये आवेदन-पत्र प्रपत्र 2 में, दो प्रतियों में दिया जायेगा जिन पर आवेदक का सम्यक् रूप से हस्ताक्षर होगा :

परन्तु यह कि आवेदक अधिनियम और इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिये ऐसी अतिरिक्त सूचना, जैसी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाय, देने के लिये बाध्य होगा।

- (2) जहाँ एक ही आवेदक एक से अधिक कोल्ड स्टोरेज के संबंध में अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहे, वहाँ वह प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज के लिये पृथक्-पृथक् आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा।
- (3) उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट आवेदन-पत्रों के साथ मूल चालान होगा,

जिसमें नियम 5 के उप-नियम (3) में लिखित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कोषागार में उक्त नियम के उपनियम (2) में जमा की गयी विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति फीस का उल्लेख किया जायेगा।

5. अनुज्ञप्ति फीस—

- (1) राज्य सरकार के स्वामित्व या प्रबंध में कोल्ड स्टोरेज में कोई अनुज्ञप्ति-फीस नहीं ली जायेगी।
- (2) उप-नियम (1) के अन्तर्गत आने वाले कोल्ड स्टोरेज के भिन्न कोल्ड स्टोरेज के संबंध में अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिये एक कलेंडर वर्ष या इसके भाग के लिए अनुज्ञप्ति फीस निम्नलिखित होगी—

क्रमांक	कोल्ड स्टोरेज की स्टोर करने की क्षमता	लाइसेंस फीस	
		विस्कोमान या कृषि विपणन। पर्वद या रजिस्ट्रीकृत सहकारी समितियों के स्वामित्व और प्रबंध में कोल्ड स्टोरेज।	अन्य कोल्ड स्टोरेज।
1	2	3	4
1.	282 घन मीटर तक	₹०	₹०
2.	282 घन मीटर से अधिक और 7,000 घन मीटर तक	220	300
3.	7,000 घन मीटर से अधिक और 15,000 घन मीटर तक	900	1,200
4.	15,000 घन मीटर से अधिक	1,500	2,000
		2,240	3,000

(3) फीस, चालान द्वारा लेखा शीर्ष-0401—कृषि प्राप्तियाँ—119-कोल्ड स्टोरेज फीस से आय” के अन्तर्गत कोषागार में जमा की जायेगी।

6. अनुज्ञप्ति के लिए शर्त—अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिये कोल्ड स्टोरेज निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा—

- (1) कोल्ड स्टोरेज इस प्रकार निर्मित और अनुरक्षित किया जायेगा कि वह आर्द्रता निरोधक तथा ऊष्मा निरोधक हो और उसमें पक्षियों, कीटों, क्षतिकारक कीड़े-मकोड़े, चूहों, कृन्तक प्राणियों और ऐसे अन्य कीड़े-मकोड़े तथा पशुओं के प्रवेश को रोका जा सकें तथा स्टोर किए गये कृषि उत्पाद को क्षति पहुंचाने के विरुद्ध संरक्षित हो।

- (2) किसी कृषि उत्पाद को इस प्रकार स्टोर किया जायेगा जिससे कि उसे आर्द्रता, नमी, उष्मा, झंझावात से या फर्श, पार्श्व दीवार, दरवाजों और खिड़कियों आदि के पानी से बचाया जा सके।
- (3) कोल्ड स्टोरेज के फर्श छत, दीवारों, दरवाजों और खिड़कियों या किसी छिद्र (ओपनिंग) का ऊष्मारोधन—(1) कार्क स्लेब, (2) ग्लास ऊल, (3) राक-ऊल, (4) एक्सपेन्डेड पोलिस्टीरीन, (5) थर्मोपेकोल, A(A6) थर्मोफाइय, (7) थर्मोएलायट, (8) थर्मोपेक या ऐसी अन्य वस्तु से किया जायेगा जिसे अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुमोदित करें। कोल्ड स्टोरेज के आवश्यकता के अनुसार तापमान को विनियमित करने के लिए ऊष्मारोधन और जलरोधन की प्रक्रिया उचित रीति से की जानी चाहिए। जो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्वधीन होगा।
- (4) जोड़ों से तापमान निकलने की सभी संभावनाओं को दूर करने के लिए धुमावदार जोड़ों को तिरछी करके ऊष्मारोधन सामग्री परतों में लगायी जानी चाहिए।
- (5) कोल्ड स्टोरेज के दरवाजों में उष्मारोधन की पर्याप्त व्यवस्था होगी और वे युक्तियुक्त रूप से वायुरोधी होंगी चाहिए। दरवाजों की डिजाइन ऐसी होगी जिससे कि कोई व्यक्ति उसे बाहर और भीतर दोनों तरफ से खोल सकें।
- (6) जहाँ कहीं रेक की व्यवस्था की जाय वहाँ उन्हें इस प्रकार निर्मित किया जायेगा कि कोल्ड स्टोरेज में कार्य करने वाले कर्मचारियों के जीवन को खतरे में डाले बिना लादने या उतारने का कार्य किया जा सके।
- (7) डिफ्यूजर या डाइरेक्ट एक्सपेंशन पाईप, जिनसे होकर हिमकारक द्रव्य (रेफरीजेंट) जाता हो, कोल्ड स्टोरेज में इस प्रकार लगाये जाएँगे कि सेन्टीग्रेड की अनुज्ञेय उच्चतम विभिन्नता सहित उपयुक्त तापमान और 5 प्रतिशत की अनुज्ञेय भिन्नता से सापेक्ष आर्द्रता का प्रतिशत कोल्ड स्टोरेज के प्रत्येक ऐसे स्थान में बना रहे, जहाँ पर कृषि उत्पाद स्टोर किये गये हों।
- (8) प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज में ऐसे कृषि उत्पाद को जो खराब हो रहे हों या जिसमें खराब होने के लक्षण हों, पृथक् करने तथा अस्थायी रूप से स्टोर करने के उपयुक्त और सुविधाजनक स्थान होगा जिससे कि ऐसा कृषि उत्पाद, जबतक कि उसका निस्तारण न कर दिया जाय कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये अन्य कृषि उत्पाद के सम्पर्क में न आएँ या किसी प्रकार से उसे प्रभावित न करें।
- (9) कोल्ड स्टोरेज के भू-गृहादि में अग्निशामक और निस्संक्रमण उपकरण तथा सामग्री सदैव प्रयोज्य दशा में रखी जायेगी तथा ऐसे उपस्कर और सामग्रियों को संभालने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी भी रखे जाएँगे।
- (10) कोल्ड स्टोरेज के भू-गृहादि में कर्मचारियों, किरायादाताओं या उनके अभिकर्ताओं के लिये तथा टट्टू और गाड़ी वाले अन्य पशुओं के लिये भी पेयजल की व्यवस्था होगी।

(11) कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच मार्ग इस प्रकार बनाया जायेगा जिससे कि कृषि उत्पाद के लाने ले जाने की सुविधा हो सके।

(12) कोल्ड स्टोरेज में पूर्व शीतन कक्ष की व्यवस्था होगी जहाँ कोल्ड स्टोरेज में अन्तिम लदान के पूर्व, कृषि उत्पाद कम-से-कम 24 घंटे तक स्टोर किया जायेगा।

7. अनुज्ञप्ति प्रपत्र—धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन दी गयी अनुज्ञप्ति “प्रपत्र 3” में होगी।
8. अनुज्ञप्ति की अवधि—धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन दी गयी अनुज्ञप्ति एक कलेण्डर वर्ष की अवधि के लिये विधि मान्य होगी और उस दिनांक से जब अनुज्ञप्ति दी जाय, आगामी 31 दिसम्बर को वह अवधि समाप्त होगी।
8. अनुज्ञप्ति-नवीकरण—धारा 7 में निर्धारित शर्तों या धारा 42 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों, यदि कोई हो के अध्वधीन धारा 6 की उप-धारा (1) के अनुसार दी गयी अनुज्ञप्ति नियम 10 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन-पत्र और नियम 11 में विहित फीस देने पर समय-समय पर, एक कलेण्डर वर्ष के लिये नवीकृत किया जायेगा।
10. अनुज्ञप्ति के नवीकरण का प्रपत्र—अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिये आवेदन-पत्र प्रपत्र 4 में होगा और उसके साथ मूल कोषागार चालान होगा जिसमें नियम 11 के अनुसार जमा की गयी फीस उल्लिखित होगी।
11. अनुज्ञप्ति नवीकरण की फीस—(1) एक कलेण्डर वर्ष के लिये अनुज्ञप्ति के नवीकरण के निमित्त अनुज्ञप्ति फीस निम्नलिखित होगी—

क्रमक	कोल्ड स्टोरेज को स्टोर करने की क्षमता	लाइसेंस फीस	
		बिस्कोमान या कृषि विपणन। पर्यट या रजिस्ट्रीकृत सहकारी समितियों के स्वामित्व और प्रबंध में कोल्ड स्टोरेज।	अन्य कोल्ड स्टोरेज।
1	2	3	4
		रु	रु
1.	282 घन मीटर तक	120	160
2.	282 घन मीटर से अधिक और 7,000 घन मीटर तक	520	700
3.	7,000 घन मीटर से अधिक और 15,000 घन मीटर तक	900	1,200
4.	15,000 घन मीटर से अधिक	1,500	2,000

(2) फीस नियमाली के नियम 5 के उप-नियम (3) में अंकित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत चालान के माध्यम से कोषागार में जमा की जायेगी।

12. अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र देने की अवधि तथा प्रक्रिया—

(1) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन-पत्र उस वर्ष के जिसके लिये अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जाना अपेक्षित हो—पिछले वर्ष की, अधिक से अधिक 31 अक्टूबर तक जबतक कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक बढ़ाया न जाय अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के पास पहुंच जाय :

परन्तु यह कि जहां धारा 6 के अधीन अनुज्ञप्ति 31 अक्टूबर को या उसके पश्चात् दी जाय, वहाँ अगले कलेण्डर वर्ष के लिये अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन-पत्र पूर्ववर्ती वर्ष के 31 दिसम्बर तक अधिक से अधिक दिया जा सकता है।

(2) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन-पत्र के साथ धारा 6 के अधीन दी गयी अनुज्ञप्ति भेजी जायेगी।

13. नवीकरण के लिए विलंब फीस के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना—

(1) नियम 12 में विनिर्दिष्ट तिथि के पश्चात् किन्तु 31 दिसम्बर के पश्चात् नहीं, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर भी विहित नवीकरण फीस और ऐसी विलंब फीस जो अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये फीस की राशि के आधे के बराबर हो, देने पर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा :

परन्तु यह कि राज्य सरकार नवीकरण का आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिये अंतिम तिथि को बढ़ा सकती है।

(2) फीस और विलंब फीस को नियम 5 के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट लेखा शीर्षक के अन्तर्गत चालान के माध्यम से कोषागार में जमा किया जायेगा।

14. अनुज्ञप्ति की द्वितीयक प्रति प्राप्त करने की फीस और प्रक्रिया—

(1) यदि कोई अनुज्ञप्ति खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विरूपित हो जाय या अन्य प्रकार के अपठनीय हो जाय तो अनुज्ञप्ति की द्वितीयक प्रति पच्चीस रुपये की फीस, जो नियम 5 के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट लेखा शीर्षक के अन्तर्गत चालान के माध्यम से कोषागार में जमा की जायेगी, देने पर जारी की जायेगी।

(2) अनुज्ञप्ति की द्वितीयक प्रति जारी करने के लिए आवेदन-पत्र “प्रपत्र 5” में दिया जायेगा और उसके साथ मूल चालान होगा जिसमें उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट जमा की गयी फीस उल्लिखित होगी।

(3) जब खोयी हुई अनुज्ञप्ति के बदले में अनुज्ञप्ति की द्वितीयक प्रति अपेक्षित हो, तो आवेदक द्वारा “प्रपत्र 6” में बन्ध-पत्र निष्पादित किया जायेगा।

(4) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खोयी हुयी या नष्ट हुयी अनुज्ञप्ति की भी रिपोर्ट थाने में की जायेगी और की गई रिपोर्ट की एक प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

(5) आवेदक, अनुज्ञप्ति की द्वितीयक प्रति जारी करने के लिये अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को आवेदन-पत्र के साथ उस अनुज्ञप्ति को, जो फट गया हो, विरूपित हो गया हो या अपठनीय हो गया हो अर्पित करेगा।

(6) जब कोई अनुज्ञप्ति खो जाय या नष्ट हो जाय तब अनुज्ञप्तिधारी तुरन्त इस तथ्य, जिसमें अनुज्ञप्ति की संख्या अंकित की जायेगी को किसी महत्वपूर्ण समाचार-पत्र में या यदि कोई स्थानीय समाचार-पत्र न हो तो राज्य के भीतर महत्वपूर्ण समाचार-पत्रों में प्रकाशित करायेगा और समाचार-पत्र की कतरन जिसमें उक्त तथ्य प्रकाशित किया जाय, अनुज्ञप्ति की द्वितीयक प्रति दिये जाने के आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

(7) आवेदन-पत्र होने पर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अपना समाधान करने के पश्चात् कि नियम 3 के उप-नियम (1), (2), (3), (4) तथा (5) यथा स्थिति की शर्तें जहाँ तक वे विचाराधीन विशिष्ट मामले पर लागू होती हैं, आवेदक द्वारा पुरी की जा चुकी है, अनुज्ञप्ति की द्वितीयक प्रति जारी करेगा।

(8) इस प्रकार जारी की गयी अनुज्ञप्ति की प्रत्येक द्वितीयक प्रति में मूल अनुज्ञप्ति जिसकी यह द्वितीयक प्रति हो, की संख्या और दिनांक उल्लिखित होगी और उसके शीर्ष स्थान पर शब्द द्वितीयक प्रति अंकित किये जायेंगे।

15. अनुज्ञप्ति का निलम्बन या रद्द किया जाना—(1) नियम 3 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द किया जा सकता है, यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि—

(क) धारा 7 की उप-धारा (2) में उल्लिखित कारणों में से कोई विद्यमान हो।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी ने कोल्ड स्टोरेज पर कब्जा या नियंत्रण को पूर्णतः या अंशतः अन्तरित कर दिया हो।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी ने कोल्ड स्टोरेज का चलाना बंद कर दिया हो।

(2) अधिनियम के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति के निलम्बन या रद्द किये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी उसके लिए किसी प्रतिकर अथवा अनुज्ञप्ति के लिए अपने द्वारा दी गयी फीस वापस पाने का हकदार नहीं होगा।

16. नया कोल्ड स्टोरेज निर्माण हेतु अनुज्ञप्ति—

(1) नया कोल्ड स्टोरेज निर्माण हेतु किसी इच्छुक व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञप्ति लेनी पड़ेगी।

(2) नया कोल्ड स्टोरेज निर्माण हेतु अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को आवेदन-पत्र “प्रपत्र-7” में दो प्रतियों में देना होगा जिस पर सम्यक रूप से आवेदक के हस्ताक्षर होंगे।

(3) उप-नियम (2) के अधीन दिये गये किसी आवेदन-पत्र के साथ मौलिक चालान की प्रति संलग्न होगी जिसमें उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट नये कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु अनुज्ञप्ति फीस का उल्लेख नियम 5 के उप-नियम (3) में वर्णित शीर्ष के अधीन रहेगा।

(4) उप-नियम (5) में उल्लिखित आवेदकों से भिन्न से निम्नांकित अनुज्ञप्ति फीस ली जायेगी।

क्रमांक	कोल्ड स्टोरेज के स्टोर करने की प्रस्तावित क्षमता।	निर्माण हेतु अनुज्ञप्ति-फीस	
		बिस्कोमान अथवा कृषि विपणन पर्षद अथवा पंजीकृत सहकारी समितियों के स्वामि स्वाधीन अथवा प्रबंधनाधीन कोल्ड स्टोरेज।	अन्य कोल्ड स्टोरेज
1	2	3	4
1.	282 घन मीटर तक	220	300
2.	282 घन मीटर से अधिक और 7,000 घन मीटर तक	900	300
3.	7,000 घन मीटर से अधिक और 15,000 घन मीटर तक	1,500	2,000
4.	1,5000 घन मीटर से अधिक	2,240	3,000

(5) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा प्रबन्धनाधीन कोल्ड स्टोरेज से कोल्ड स्टोरेज निर्माण हेतु कोई अनुज्ञप्ति फीस नहीं ली जायेगी।

(6) निर्माण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय अनुज्ञप्ति प्राधिकारी प्रस्तावित क्षेत्र में कार्यरत कोल्ड स्टोरेज की संख्या, कृषि उत्पाद की उपलब्धता और कोई अन्य बिन्दु जो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी आवश्यक समझे, पर विचार करेगा।

(7) अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय अनुज्ञप्ति-प्राधिकारी कोई भी ऐसी शर्त लगा सकता है; जिसे वह आवश्यक समझे।

17. सलाहकार पर्षद का गठन—राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा धारा 3 के अनुसार कोल्ड स्टोरेज सलाहकार पर्षद का गठन करेगी। परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा बिहार विधान परिषद् के एक सदस्य को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकता है।

18. सलाहकार पर्षद के कृत्य एवं कार्य—पर्षद के कृत्य तथा कार्य अधिनियम की धारा 4 में यथानिर्दिष्ट है।

19. भंडारण किये गये माल की युक्तियुक्त देखभाल—प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी भंडारण किये गये माल की युक्तियुक्त देख-भाल धारा 12 के अनुसार करते हुए निम्न बातों का भी पालन करेगा।

(1) माल खराब न होने पायें।

(2) परिस्थितिजन्य कारणों से माल को खराब न होने देने के लिए सामान्य बुद्धि के व्यक्ति जैसा कार्य करेंगे।

20. सूचना का प्रदर्शन—प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी धारा 13 में उपबंधित रीति से सूचना का प्रदर्शन करते हुए निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखेगा—

(1) सूचना सदैव पठनीय होगी।

(2) रिक्त स्थान का प्रदर्शन आवश्यक रूप से करेंगे।

21. भंडारण के लिए माल स्वीकार करना—अनुज्ञप्तिधारी जमा करने हेतु धारा 14 के अनुसार माल स्वीकार करने के अलावा निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे—

(1) भंडारण करने के लिए स्वीकृत माल भंडारित माल को क्षति न पहुंचाएँ।

(2) विवाद उठने पर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

22. स्थान का आरक्षण—(1) किसी कोल्ड स्टोरेज की पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत तक का ही आरक्षण किया जा सकता है और ऐसा आरक्षण 31 जनवरी तक ही किया जा सकेगा।

(2) आरक्षण के लिए निर्धारित किराया का (10%) अग्रिम देना अनिवार्य होगा।

(3) यदि आरक्षित कराये गये स्थान का उपयोग आरक्षण करानेवाले व्यक्ति द्वारा 15 (पन्द्रह) मार्च तक नहीं किया जाता है वैसी स्थिति में आरक्षण स्वतः रद्द समझा जायेगा और दी गई अग्रिम राशि वापस लेने का हकदार नहीं रहेगा।

प्रपत्र-1

(नियम 3-13 देखिए)

प्रशस्तीन संयंत्र (रेफ्रिजरेशन प्लान्ट) की लॉग बुक का रखा जाना

अवधि	वोल्टेज मोटर का		वायु चापित	लाइन का दबाव		पम्प सं.	जल
	तेल	ए.एम.पी.		संकेयन	कन्डेंसिंग		दबाव
123				का दबाव	दबाव		
तापमान	तापमान	तापमान	तापमान	पूर्व शीतन	बाहर का	कंप्रेसर संख्या 1	चालू
कमरा सं.	कमरा सं. 2	कमरा सं. 3	कमरा सं. 4	तापमान	अवधि		
डी। वी।	डी। वी।	बी। बी।	बी। वी।	डी। वी।	बी। वी।	शुरू	बंद
डब्लू बी	डब्लू बी	डब्लू बी	डब्लू बी	डब्लू बी			योग
हम	हम	हम	हम	हम	हम		

प्रबन्धक आपरेटर जो ड्यूटी पर हो, के हस्ताक्षर

टेकनोशियन

निर्देशन

1.

दिनांक वर्ष

2.

कंप्रेसर संख्या 2 चालू	कंप्रेसर संख्या 3 चालू	चालू पम्प (भीतरी)	पम्प (बाहरी)
शुरू बंद योग	शुरू बंद योग	शुरू बंद योग	शुरू बंद योग
होना होना	होना होना	होना होना	होना होना

डिफ्रिजिंग कक्ष	स्वच्छ	वायु कक्ष	विद्युतीय उपभोग
1 2 3 4	प्रो.	1 2 3 4	प्रो. शक्ति 440 वॉल्ट



बिहार कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1992 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन-पत्र।

1. (1) आवेदक का नाम, पिता का नाम और पता— मोबाईल नं.
(2) स्वामी या स्वामियों के नाम, पिता का नाम और पता—
2. कोल्ड स्टोरेज का नाम और स्थिति, पत्र व्यवहार का पता, थाना और जिला—
3. कोल्ड स्टोरेज का आकार—.....
(1) कक्षों का आकार—.....
(2) क्रमशः कोल्ड स्टोरेज को कक्षों का आकार (लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई मीटर में).....
(3) समस्त कोल्ड स्टोरेज कक्षों का कुल स्थान (घन मीटर में).....
4. (1) भवन संरचना का प्रकार
(2) नव-सम्भरण का प्रबन्ध.....
(3) बिजली के सम्भरण का प्रबन्ध.....
(4) स्टोर करने का रीति.....
(5) रेफ्रों का संरचना प्रबन्ध के ब्योरे.....
(6) प्रयुक्त प्रशासन (रेफराजरेन्ट) तथा प्रबन्ध.....
(7) क्या पूर्व शासन (प्रान्कुलिंग) किया जाता है तो क्या कोई पूर्व शीतन कक्ष (प्रो-कुलिंग चेम्बर) है ?.....
(8) ऑपरेटरों के लिये कोल्ड स्टोरेज के भू-गृहादि में अथवा सभी के लिये हो क्वाटरों की व्यवस्था है।.....
(9) प्रबन्ध टेक्नोशियन, टेक्निकल सुपरवाइजर/ऑपरेटर इत्यादि की योग्यताएँ तथा अनुभव।

5. प्रशीतन यंत्र (कोलिंग प्लान्ट) की क्षमता
6. ब्योरे सहित मशीनों की सूची
7. अधिष्ट मोटरों, प्राइमर-मूचरो की कुल अश्वशक्ति (हार्स पावर)
8. सहायक यूनिट अथवा यूनिटों के, यदि कोई हो, ब्योरे
9. स्टोर करने के लिये स्वीकार किये जाने वाले कृषि उत्पाद (उत्पादों) के नाम
10. कोषागार का नाम और राशि जमा किए गए संलग्न कोषागार चालान की संख्या, दिनांक तथा राशि
11. अवधि जिसके लिए लाइसेन्स अपेक्षित है।
12. स्टोर करने के उपशुल्क, किराया प्रभार की अनुसूची जिन्हें वसूल किया जाता है अथवा जिन्हें किरायादाताओं से वसूल किये जाने का प्रस्ताव है।
13. मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि यहां पर दी गयी सूचना अथवा ब्योरे मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सत्य है।
14. मैं/हम बिहार कोल्ड स्टोरेज की नियमन अधिनियम 1992 इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों तथा और उन निदेशों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं जो अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम या नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किये जाएँ।

दिनांक— आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

नाम

दिनांक वर्ष

मोहर (सील) नाम एवं पद

(स्वामी/प्राधिकृत)

अवधेय—

इस आवेदन-पत्र पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा—

- (1) स्वामी या स्वामियों में से एक द्वारा जहां कोल्ड स्टोरेज को प्राईवेट व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा चलाने का प्रस्ताव है।
- (2) महाप्रबंधक या प्रबंधक द्वारा जहां कोल्ड स्टोरेज को निगम/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा चलाने का प्रस्ताव है।
- (3) व्यक्ति द्वारा जहां कोल्ड स्टोरेज को सलाहकार समिति द्वारा चलाने का प्रस्ताव है।

प्रपत्र-3

(नियम 7 देखिए)

(बिहार कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1992 के अधीन अनुज्ञप्ति)
लाइसेंस सं. सी.एल.ओ.

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पता
..... दूरभाष सं.
..... फैक्स
..... मेल
2. कोल्ड स्टोरेज की स्थिति
यह अनुज्ञप्ति बिहार कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1992 के उपबन्धों और
अधिनियम के अधीन बताये गये नियमों में निदिष्ट शर्तों और निबन्धनों के अधीन दी
जाती है और उसके अधीन है।
स्थान
दिनांक वर्ष

विधि मान्यता को अवधि	भुगतान की गयी अनुज्ञप्ति फीस	कोल्ड स्टोरेज की कुल क्षमता (घनमीटर में)	अनुज्ञप्ति अधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-4

(नियम 10 देखिये)

बिहार कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1992 की धारा 7 के अधीन लाइसेंस
के नवीकरण के लिये आवेदन-पत्र।

1. स्वामी का (स्वामियों के) नाम, पिता का नाम और पता।
.....
2. कोल्ड स्टोरेज का नाम और स्थिति और डाक का पता।
.....
3. (1) लाइसेंस की संख्या और दिनांक जिसका नवीकरण अपेक्षित है।
.....
(2) वर्तमान साल की समाप्ति का दिनांक।
.....

4. वर्तमान लाइसेंस जारी या नवीकृत किये जाने के पश्चात् कोल्ड स्टोरेज में किए गए
महत्वपूर्ण परिवर्तन हेर-फेर। विस्तार आदि का व्योरा।
.....
5. जमा की गयी फीस की राशि, कोषागार का नाम (यथाविधि प्राप्तांकित) कोषागार
चालान की संख्या और दिनांक संलग्न है।
.....
6. अवधि जिसके लिये नवीकरण अपेक्षित है।
.....
7. स्टोर करने के उपशुल्क किराया प्रभार की अनुसूची में परिवर्तन, यदि कोई हो।
.....
.....
8. कोई अन्य सूचना जिसे आवेदक देना चाहे।
.....
9. मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि यहां पर दी गयी सूचना व्योरा मेरी/हमारी सर्वोच्च
जानकारी में तथा विश्वास में सत्य है।
10. मैं/हम बिहार स्टेट कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1992 इसके अधीन बनाये
गये नियमों के उपबन्धों का और उन निदेशों का अनुपालन करने का वचन देते हैं
जो लाइसेंस अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन समय-समय पर
जारी किये जाएँ।

दिनांक : वर्ष

आवेदन (आवेदकों) के हस्ताक्षर

नाम

पद

प्राधिकृत

मोहर (सील)

अवधेय—

इस आवेदन-पत्र पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा—

- (1) स्वामी या स्वामियों में से एक के द्वारा जहां कोल्ड स्टोरेज को प्राइवेट
व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो या
- (2) महाप्रबन्धक या प्रबन्धक द्वारा जहां कोल्ड स्टोरेज या निगम/सार्वजनिक उपक्रम
द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो या
- (3) सचिव द्वारा जहाँ कोल्ड स्टोरेज को निवाधित सहकारी समिति द्वारा चलाने का
प्रस्ताव हो।



बिहार स्टेट कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1992 के अधीन लाइसेन्स की द्वितीय प्रति जारी करने के लिये आवेदन-पत्र।

सेवा में,

लाइसेन्स अधिकारी

महोदय,

मैं/हम जो श्री के पुत्र/पुत्री/पुत्रियां हैं, निवासी डाकखाना थाना जिला कथन करता हूँ/करते हैं कि को समाप्त होने वाली अवधि के लिये धारा के अधीन मुझे/हमें दिया गया लाइसेन्स संख्या दिनांक निम्नलिखित परिस्थितियों में अपठनीय है।
.....

(यहां उन परिस्थितियों को उल्लिखित करें जिनमें लाइसेन्स को गमानष्ट हो गया / क्षतिग्रस्त हो गया / फट गया / विरुपित हो गया / अपठनीय हो गया है।)

2. अतएव मैं/हम आपसे निवेदन करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें लाइसेन्स की एक द्वितीय प्रति उन्हीं शर्तों और निबन्धनों पर जिन पर ऊपर स्वीकृत मूल लाइसेन्स दिया गया था, जारी करें।

3. मैं/हम रुपये (रुपये की विहित फीस देने के सबूत में कोषागार चालान) संलग्न करता हूँ/करते हैं।

4. मैं/हम सत्यनिष्ठ से घोषित करता हूँ/करते हैं कि यहां दिये गये विवरण या सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में सत्य है।

सेवा में,

बिहार के राज्यपाल।

बिहार कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1992 के अधीन मुझे/हमें दिये गये लाइसेन्स संख्या दिनांक को जिसे मैंने/हमने खो दिया, आज लाइसेन्स अधिकारी द्वारा दी गई द्वितीय प्रति के प्रतिफल मैं हमें/हम स्वयं मेरे/हमारे उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक बिहार सरकार को किसी हानि या क्षति की, जो उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लाइसेन्स का प्रयोग करने के कारण की पूर्ति करने के लिये सहमत हूँ और मैं/हम अग्रतर लाइसेन्स देने वाले अधिकारी को मूल लाइसेन्स यदि मुझे/हमें प्राप्त हो जाय वापस करने का वचन देता हूँ। वचन देते हैं।

और मैं/हम अग्रतर इससे सहमत हूँ कि राज्य सरकार उपर्युक्त समस्त हानि या क्षति को मुझे/हमसे भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने के लिए हकदार होगी।

मैं हस्ताक्षरित।

निष्पादक के हस्ताक्षर

निम्न की उपस्थिति में (गवाह) —

1.

पता

2.

पता

टिप्पणी—यह बन्ध-पत्र उचित मूल्य के न्यायिकेतर मुद्रांक पर निष्पादित किया जाना चाहिये।

कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन-प्रपत्र

1. आवेदक का नाम, पिता का नाम एवं पता—
2. स्वामी (स्वामियों) का नाम, पिता का नाम एवं पता—.....
दूरभाष
मेल
फैक्स
3. कोल्ड स्टोरेज का नाम, अवस्थित डाक का पता, थाना, जिला, निकटस्थ रेलवे स्टेशन एवं कोल्ड स्टोरेज से इसकी दूरी—
4. प्रस्तावित कोल्ड स्टोरेज का आकार
(क) कमरों (चैम्बर) की संख्या—
(ख) प्रत्येक कमरा का आकार (लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई मीटर में)
(ग) सभी कमरों का समेकित स्थान (घनमीटर में)—
5. प्रस्तावित क्षेत्र में परिचालित कोल्ड स्टोरेज की संख्या—
6. स्टोर किये जाने वाले प्रस्तावित कृषि माल के नाम—
7. क्रमांक 6 में अंकित कृषि उत्पादों का उत्पादन
(1) कृषि उत्पादों का कुल उत्पादन—
(2) स्टोरेज के लिए उपलब्ध मात्रा—
8. संरचना का प्रकार—

9. प्रस्तावित कोल्ड स्टोरेज के परिसर का क्षेत्रफल—
10. परिसर में जाने की सड़क—
11. ट्रेजरी का नाम एवं संलग्न चालान जिसमें चालान संख्या, दिनांक एवं जमा की गयी राशि उल्लिखित—.....
12. निर्माण कार्य आरम्भ की प्रस्तावित तिथि एवं पूरा होने की संभावित अवधि—
13. यंत्रों, उपकरणों आदि का विवरण—
(1) लगाये जाने वाले प्रस्तावित यंत्रों का विवरण—
(2) व्यवहार में लाये जाने वाले प्रस्तावित उपकरणों वस्तुओं के नाम—
(3) प्रस्तावित प्रशीतक—
14. ऊर्जा की उपलब्धता—
(1) आवश्यक विद्युत्-भार—
(2) आवश्यक विद्युत् भार के लिए प्रस्तावित व्यवस्था—
15. जल की उपलब्धता—
जलापूर्ति की व्यवस्था—
16. वित्त का स्रोत—
(1) अपना स्रोत—
(2) बैंक राज्य वित्त निगम—
(3) ऊर्जा के लिए आवेदित एवं स्वीकृत राशि—

आवेदक (आवेदकों) का हस्ताक्षर

22 फरवरी 1993

एस० ओ० 14—बी० एस० आर० 13 दिनांक 24 फरवरी, 1993 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 548 के खंड (3) के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
विजय कुमार श्रीवास्तव,
सरकार के अपर सचिव।

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भद्र 1922 (श०)

(सं० पटना 327) पटना, सोमवार 28 अगस्त, 2000

विधि विभाग

अधिसूचनाएँ

26 अगस्त 2000

स.एन.जी.1-0212000-लेज-106-बिहार विधान मंडल द्वारा यथा पारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल 24 अगस्त 2000 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है—

(बिहार अधिनियम 7, 2000)

बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियम (संशोधन)

अधिनियम 2000

बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1992 का संशोधन करने के लिये अधिनियम।

प्रस्तावना—बिहार राज्य के कोल्ड-स्टोरेजों को अनुज्ञप्ति देने, उनका पर्य-वेक्षण और नियंत्रण करने तथा उनमें संबंधित नियमों की व्यवस्था के संबंध में उपबंध करने हेतु बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1992 को संशोधन करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के एकानवे वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रचार ओर प्रारम्भ : (1) यह अधिनियम बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ : जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में—

(क) 'कैलेण्डर वर्ष' में अभिप्रेत है पहली जनवरी से इकतीस दिसम्बर तक की अवधि।

(ख) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2000

(ग) "अधिनियम" में अभिप्रेत है बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1992 (बिहार अधिनियम 17, 1992)।

3. बिहार अधिनियम 17, 1992 की धारा का प्रतिस्थापन : अधिनियम की धारा 39 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा—धारा 29 अधिकतम प्रभार का निर्धारण :

(1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी समय-समय पर कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद के भंडारण के लिये या उसके संबंध में की गई किसी अन्य सेवा के लिये अधिकतम प्रभार नियम करेगा और विभिन्न कृषि उत्पादों के लिये विभिन्न प्रभार नियत किया जा सकेगा।

(2) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी उप-धारा (1) के अधीन नियतकिये गये प्रभार को कोल्ड स्टोरेज के मुख्य प्रवेश द्वार पर या उसके निकट प्रदर्शित करेगा और उसकी एक प्रति अनुज्ञप्ति अधिकारी के कार्यालय को भी प्रेषित करेगा।

(3) यदि राज्य सरकार की राय हो कि उप-धारा (1) के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियत प्रभार युक्तियुक्त अधिक है तो उपधारा (1) के उपबंधों के होते हुए भी राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में उप-धारा (1) प्रयोग के लिये अधिकतम प्रभार निश्चित कर सकती है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निश्चित प्रभार उस वित्तीय वर्ष जिसमें वे निश्चित किये जायें, के शेष भागके लिये प्रभावी होंगे।

4. निरमन एवं व्यावृत्ति—(1) बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1992 (बिहार अधिनियम 17, 1992) की धारा 30 को निरमित किया जाता है।

(2) ऐसे तिरसा के होते हुए भी अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी व्यक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त व्यक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

(सं० पटना, 450) पटना, शनिवार, 19 अक्टूबर 2002

कृषि (माप-तौल तथा बागवानी) विभाग

अधिसूचनाएँ

16 अक्टूबर 2002

जी.एस.आर. 3, दिनांक 19 अक्टूबर 2002-बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियम अधिनियम, 1992 (बिहार अधिनियम 17, 1992) की धारा 45 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अनुज्ञप्ति नियमावली को निम्नलिखित रूप से संशोधित करते हैं-

1. संक्षिप्त, नाम प्रसार एवं प्रारम्भ-(1) यह नियमावली बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अनुज्ञप्ति (संशोधन) नियमावली, 2002 कही जा सकेगी।

(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में प्रभावी होगी।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली 93 के नियम 2 में एक नया उप-नियम (7) का जोड़ा जाना-उक्त नियमावली 93 के उप-नियम (6) के बाद निम्नलिखित उप-नियम (7) जोड़ा जायेगा-

“(7)” नियमावली से तात्पर्य है बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज विनियमन अनुज्ञप्ति नियमावली, 1993 ।

3. उक्त नियमावली, 1993 के नियम 5(2) का प्रतिस्थापन-उक्त नियमावली 93 के नियम 5(2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा-

“(2) उप-नियम (1) के अधीन उल्लिखित कोल्ड स्टोरेज के संबंध में अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिये एक कलेण्डर वर्ष का इसके भाग के लिये अनुज्ञप्ति प्रदत्त करने हेतु अनुज्ञप्ति फीस निम्नलिखित होगी-

क्रम सं.	कोल्ड स्टोरेज की स्टोर करने की क्षमता	अनुज्ञप्ति फीस	
		बिस्कोमान या कृषि विपणन परिषद् या रजिस्ट्रीकृत सहकारी समितियों के स्वामित्व और प्रबंध में कोल्ड स्टोरेज।	अन्य कोल्ड स्टोरेज
1.	282 घनमीटर तक	1100 रु०	1500 रु०
2.	282 घनमीटर से अधिक और 7000 घनमीटर तक	4500 रु०	6000 रु०
3.	7000 घनमीटर से अधिक और 1500 घनमीटर तक	7500 रु०	10000 रु०
4.	15000 घन मीटर से अधिक	11200 रु०	15000 रु०

4. उक्त नियमावली के नियम 11 (1) का प्रतिस्थापन 1-उक्त नियमावली 93 का नियम : 1 (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा।

“एक कलेण्डर वर्ष के लिये अनुज्ञप्ति के नवीकरण के निमित्त अनुज्ञप्ति नवीकरण फीस निम्न होगी-

क्र.सं.	कोल्ड स्टोरेज की स्टोर करने की क्षमता	अनुज्ञप्ति नवीकरण फीस	
		बिस्कोमान या बिहार राज्य कृषि विपणन परिषद् या रजिस्ट्रीकृत सहकारी समितियों के स्वामित्व	अन्य कोल्ड स्टोरेज
1.	282 घनमीटर तक	600 रु०	800 रु०
2.	282 घन मीटर से अधिक और 7000 घनमीटर तक	2600 रु०	3500 रु०
3.	7000 घनमीटर से अधिक और 15,000 घनमीटर तक	4500 रु०	6000 रु०
4.	15,000 घन मीटर से अधिक	7500 रु०	10,000 रु०

5. उक्त नियमावली 93 के नियम 14(1) का प्रतिस्थापन 1-उक्त नियमावली 93 का नियम 14(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा-

“यदि कोई अनुज्ञप्ति खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विरूपित हो जाय या ‘अन्य प्रकार से अपठनीय हो जाय तो अनुज्ञप्ति को द्वितीय प्रति 125 (एक सौ पच्चीस) रुपये की फीस जो नियम 5 के उपनियम 3 में विनिर्दिष्ट लेखा शीर्षक के अन्तर्गत चालान के माध्यम से कोषागार में जमा की जायेगी, देने पर जारी की जायेगी।

6. उक्त नियमावली, 93 के नियम 16(4) का प्रतिस्थापन-उक्त नियमावली, 93 का नियम 16(4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा-

“जो उप-नियम (5) में उल्लिखित है, उक्त आवेदकों को छोड़कर निम्नांकित अनुज्ञप्ति फीस ली जायेगी।

क्र.सं.	कोल्ड स्टोरेज के स्टोर करने की क्षमता	निर्माण हेतु अनुज्ञप्ति फीस	
		कोल्ड स्टोर विस्कोमान या कृषि विपणन पपिड का पंजीकृत सरकारी समितियों के के स्वामित्वमान या प्रबंधनीय कोल्ड स्टोरेज	अन्य कोल्ड स्टोरा
1.	282 घन मीटर तक	1100 रु०	1500 रु०
2.	282 घन मीटर से अधिक, 7000 घन मीटर तक	4500 रु०	6000 रु०
3.	7000 घन मीटर से अधिक 15000 घन मीटर तक	7500 रु०	10,000 रु०
4.	15000 घन मीटर से अधिक	11,200 रु०	15,000 रु०

16 अक्टूबर 2002

जी.एस.आर 4-जी.एस.आर. 3, दिनांक 19 अक्टूबर 2002 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश सं०.
(ह०) अस्पष्ट
सरकार के सचिव।

आवश्यक सूचना का अनुपालन

बिहार कोल्ड स्टोरेज नियमावली 1993 का नियम-4 उपनियम (1) अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

बिहार कोल्ड स्टोरेज अधिनियम 1992 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति हेतु दिए जाने वाले आवेदन पत्र (प्रपत्र-2) दो प्रतियों में हस्ताक्षर कर आवश्यक कागज संलग्न सहित जिला उद्यान कार्यालय में जमा होगा। इसके साथ स्टोर क्षमता की निर्धारित फीस मूल ट्रेजरी चालान पर लिखित (लेखा शीर्ष-0401-कृषि प्राप्ति-119-कोल्ड स्टोरेज फीस से आय) देना होगा।

इसी प्रकार नियम -12 के उपनियम (1) एवं (2) तथा नियम 13 के उपनियम (1) एवं (2) के अनुसार नवीकरण हेतु आवेदन (प्रपत्र-4) दो प्रतियों में हस्ताक्षर कर जमा करना होगा। इसके साथ स्टोर क्षमता की निर्धारित फीस/विलम्ब फीस मूल ट्रेजरी चालान पर (लेखा शीर्ष 0401-कृषि प्रतिया-119- कोल्ड स्टोरेज फीस से आय) द्वारा देना होगा। जिला उद्यान पदाधिकारी कार्यालय से आवेदन जमा करते समय प्राप्ति रसीद आवेदक अवश्य लेगें। आवेदन पूर्ण रूप से 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक ही कार्यालय में जमा किया जायेगा। उसके उपरांत आवेदन पर विचार नहीं होगा।

बिहार कोल्ड स्टोरेज नियमावली 1993 के नियम (12) एवं (13) - अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए आवेदन पत्र देने की अवधि तथा प्रक्रिया:-

नियम 12 का उप नियम (1):- अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र उस वर्ष के जिसके लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जाना अपेक्षित हो पिछले वर्ष की अधिक से अधिक 31 अक्टूबर तक जबतक कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक बढ़ाया न जाय पूर्ण आवेदन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के पास पहुंच जाय :

परन्तु यह कि जहां धारा-6 के अधीन अनुज्ञप्ति 31 अक्टूबर को या उसके पश्चात् दी जाय, वहाँ अगले कलेण्डर वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र पूर्ववर्ती वर्ष के 31 दिसम्बर तक अधिक से अधिक दिया जा सकता है।

(2) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ धारा 6 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति भेजी जायेगी।

नवीकरण के लिए विलंब फीस के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना।

नियम 13 के उप नियम (1)- नियम 12 में विनिर्दिष्ट तिथि के पश्चात् किन्तु 31 दिसम्बर के पश्चात् नहीं, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र

पर भी विहित नवीकरण फीस और ऐसी विलम्ब फीस जो अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए फीस की राशि के आधे के बराबर हो, देने पर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा। (2) फीस और विलम्ब फीस को नियम 5 के उपनियम (3) में विर्दिष्ट लेखा शीर्षक के अन्तर्गत चालान के माध्यम से कोषागार में जमा किया जायेगा।

चेक लिस्ट :

1. प्रपत्र- (2), (4) अथवा (7) पूर्ण रूप से प्रत्येक पन्ना पर प्रोपराइटर का पूर्ण हस्ताक्षर तिथि सहित भरा होना चाहिए।
2. क्षमता पर आधारित विहित शुल्क को ट्रेजरी का मूल चालान (जि0उ0पदा0 द्वारा पारित, कोषागार का हस्ताक्षर/मुहर एवं बैंक का हस्ताक्षर एवं मुहर स्पष्ट रूप से अंकित) होना चाहिये।
3. बीमा पॉलिसी का अभिप्रमाणित छायाप्रति (पुराना अथवा नया) संलग्न होना चाहिये।
4. विगत वर्ष का अनुज्ञप्ति नवीकरण का छायाप्रति संलग्न होना चाहिये।
5. जिला उद्यान पदाधिकारी का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न होना चाहिये।
6. संचित कृषि उत्पाद का घोषित भार अंकित होना चाहिये।
7. अनुज्ञप्ति धारक को कोल्ड स्टोरेज सम्बन्धित सर्वेक्षण प्रपत्रा भर कर देना है।

निर्देश : संबंधित कोल्ड स्टोरेज प्रोपराइटर को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त के आलोक में आगामी कलेण्डर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक के लिए अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु 31 अक्टूबर तक एवं विलम्ब शुल्क 31 दिसम्बर तक ट्रेजरी चालान द्वारा फीस जमा करने हेतु संबंधित कागजात जिला उद्यान पदाधिकारी को 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अन्यथा अनुज्ञप्ति नवीकरण पर विचार नहीं किया जायेगा। जिला उद्यान पदाधिकारी को अग्रसारित आवेदन की अग्रिम प्रति कोल्ड स्टोरेज स्वामी अथवा प्रबन्धक/प्रतिनिधि द्वारा उद्यान निदेशालय को भेजा जाय। अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ही भण्डारण करे अन्यथा कानुनी कार्रवाई की जायेगी।

निर्देश : जिला उद्यान पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि कोल्ड स्टोरेज के अनुज्ञप्ति नवीकरण से संबंधित प्राप्त आवेदन को जाँचोपरांत चेक लिस्ट के अनुसार पंद्रह दिनों के अंदर उद्यान निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके लिए आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

HEADQUARTER CONTACT NUMBERS

Agriculture Production Commissioner (APC), Bihar	9431090001
Secretary, Agriculture, Bihar	9431818703
Director, Agriculture, Bihar	9431818704
Director Horticulture,	9431818924
Deputy Director Horticulture (Planning), Nodal Officer, CMHM,	9431818925
Special Crop and Financial Advisor in ADB project	
Dy. Dir. Agril. (Potato), Horticulture Specialist in ADB Project	9431818926
Dy. Dir. Hort. (Nursery), Nodal Officer NBM, BBA, Hortner	9431818927
Dy. dir. Hort. (Vegetable), Nodal Officer NHM, NVI	9431818934
Dy. Dir. Hort. (A & E)	9431818923
Nodal Officer, ADB Project	9431818928
Nodal Officer, NMMP	9431818930
Technical Support Group, SHM	9431818932
Technical Support Group, SHM	9431818935
Horticulture Officer	9431818967

District Horticulture Officer's (DHO) Contact Number	
District Horticulture Officer, Araria	9431818983
District Horticulture Officer, Arwal	9431818981
District Horticulture Officer, Aurangabad	9431818939
District Horticulture Officer, Banka	9852494747
District Horticulture Officer, Begusarai	9431818948
District Horticulture Officer, Bhagalpur	9431818950
District Horticulture Officer, Bhojpur	9431818970
District Horticulture Officer, Buxar	9905537686
District Horticulture Officer, Darbhanga	9431818945
District Horticulture Officer, East Champaran	9431818942
District Horticulture Officer, Gaya	9431818939
District Horticulture Officer, Gopalganj	9431818976
District Horticulture Officer, Jamui	9386126155
District Horticulture Officer, Jehanabad	9431818961
District Horticulture Officer, Kaimur	9431818971
District Horticulture Officer, Katihar	9431818953
District Horticulture Officer, Khagaria	9431818954
District Horticulture Officer, Kishanganj	9431818964
District Horticulture Officer, Lakhisarai	9835295294
District Horticulture Officer, Madhepura	9431818979
District Horticulture Officer, Madhubani	9431818946
District Horticulture Officer, Munger	9431818949
District Horticulture Officer, Muzaffarpur	9431818941
District Horticulture Officer, Nalanda	9431818937
District Horticulture Officer, Nawada	9431818973
District Horticulture Officer, Patna	9431818936
District Horticulture Officer, Purnea	9431818952
District Horticulture Officer, Rohtas	9431818938
District Horticulture Officer, Saharsa	9431818951
District Horticulture Officer, Samastipur	9431818947
District Horticulture Officer, Saran	9431818974
District Horticulture Officer, Sheikhpura	9431818978
District Horticulture Officer, Sheohar	9431818985
District Horticulture Officer, Sitamarhi	9431818977
District Horticulture Officer, Siwan	9431818975
District Horticulture Officer, Supaul	9431818968
District Horticulture Officer, Vaishali	9431818944
District Horticulture Officer, West Champaran	9431818943

बिहार-सरकार
कृषि, तौल-माप तथा बागवानी विभाग
उद्यान निदेशालय, बिहार

निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा शीत गृह का निरीक्षण प्रतिवेदन :

1. शीतगृह का नाम एवं पूर्ण पता :
2. अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता :
3. अनुज्ञप्ति संख्या तिथि :
4. अंतिम निरीक्षण की तिथि :
5. नवनिर्मित चैम्बर/कार्यरत चैम्बर की संख्या एवं क्षमता :

चैम्बर संख्या चैम्बर का आकार/लंबाई/ क्षमता घन मी० में
चौड़ाई, ऊँचाई में

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

योग :-

6. निर्माणधीन चैम्बर की विवरणी : (अगर कोई हो)
7. नवनिर्माण की स्थिति में ट्रायल की तिथि एवं परिणाम :
8. अनुज्ञप्ति में अंकित क्षमता एवं चैम्बर की संख्या (घनमीटर में) :
9. निरीक्षण में पायी गयी क्षमता एवं चैम्बर की संख्या (घन मीटर में)
10. अनुज्ञप्ति नवीकरण की अवधि :
11. अनुज्ञप्ति नवीकरण के पश्चात किया गया परिवर्तन (यदि कोई हो) :



12. संचित कृषि उत्पाद का नाम :
13. विभिन्न संचित कृषि उत्पाद का नाम लिया गया प्रभार :
14. संचित कृषि उत्पाद की मात्रा ;क्वींटल में (सभी संचित) :
15. वर्तमान में संचित कृषि उत्पाद की मात्रा (क्वींटल में) (सभी संचित)
16. बीमा कराया गया या नहीं (अगर हों तो विवरण दें)
(क) भवन, रैंक तथा इंसूलेशन
(ख) मशीनरी
(ग) संचित कृषि उत्पाद
17. मोटरों का कुल क्षमता (हॉर्स पावर किलोवाट में)
18. आवश्यक विद्युत भार
19. आवश्यक विद्युत भार की व्यवस्था
20. जलापूर्ति की व्यवस्था—संतोषप्रद/उत्तम/असंतोषप्रद
21. पूर्व में दिये गये सुझाव
22. सुझाव का अनुपालन विवरणी
23. शीतगृह परिसर की साफ—सफाई एवं विस्तृत प्रकाश आदि की स्थिति
(प्रकाश व्यवस्था—5 वर्गफुट हेतु एक वाट की दर से)
24. विपरीत गंधवाले कृषि उत्पादन हेतु पृथक कक्ष की व्यवस्था का विवरणी
25. शीतगृह के अंदर कार्य करने वाले कर्मचारियों हेतु विशेष कपड़े एवं बूट आदि की व्यवस्था का स्थिति।

ध्यान रखे जानेवाले तथ्य

26. रैकों के दो पंक्तियों के बीच 0.75 मीटर से कम स्थान नहीं हो
27. रैक दीवारों/फर्शों से कम से कम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो
28. प्रत्येक रैक के उच्चतम शेल्फ में तथा लदान के मध्य कम से कम 30 सेंमी की खाली जगह रखी जानी चाहिए।
29. किसी शेल्फ तथा अन्य शेल्फ के मध्य कम से कम 7—5 सेंमी. खाली जगह रखी जानी चाहिए। परंतु यह कि जब बोरे में स्टोर किया जाय तब कंडिका 26, 27, 28 का पालन करते हुए निम्न निर्देश का अनुसरण किया जाएगा।

- (क) एक स्टेफ में एक दूसरे से ऊपर 6(N%) बोरे से अधिक नहीं रखे जायेंगे।
- (ख) प्रत्येक बोरे की कतार में 10 सेंमी. की जगह छोड़ी गयी हो।
- (ग) स्टोर करने की अवधि के दौरान बोरो को दो बार ऊपर नीचे किया जाएगा और उन्हें इस प्रकार रखा जाएगा कि स्टेफ में जो बोरा सबसे नीचे हो वह सबसे ऊपर रखा जाय और कृषि उत्पाद स्टोर करने के 45 दिन के भीतर पहलीवार और स्टोर करने के 90 दिनों के भीतर दूसरी बार किया जाय।

30. ड्राई बल्ब का पठन।
31. वेट बल्ब का पठन।
32. निर्धारित प्रपत्र पफार्म—1 में प्रशीतन संयंत्र का लौग बुक का संधारण किया गया है या नहीं तथा निरीक्षण किया गया है या नहीं।
33. शीतगृह के फर्श छत, दीवारों, दरवाजों और खिड़कियों या किसी छिद्र का उष्मारोधन हेतु प्रयोग की गयी वस्तु :
34. अगर लौग बुक निर्धारित नहीं है तो तुरंत लौग बुक निर्धारण का निर्देश दिया गया या नहीं।
35. डिफ्यूजर या डाईरेक्ट एकलमेंशन पाईप जिनसे होकर हिमकारक द्रव्यारे फरीजेरेन्ट जाता हो, कोल्ड स्टोरेज में इस प्रकार लगाये जाएंगे कि सेन्टीग्रेड की अनुज्ञेय उच्चतम विभिन्नता सहित उपयुक्त तापमान और 5 प्रतिशत की अनुज्ञेक भिन्नता से सापेक्ष आर्द्रता का प्रतिशत कोल्ड स्टोरेज के प्रत्येक ऐसे स्थान से बना रहे जहाँ पर कृषि उत्पाद स्टोर किये गये हैं। निरीक्षण में पाये गये अथवा नहीं।
36. निष्कर्ष :
37. अभियुक्ति

निरीक्षण पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
नाम	
अनुज्ञाप्तिधारी का हस्ताक्षर	पदनाम/मुहर सहित
मुहर सहित	दिनांक
दिनांक	



आवश्यक सूचना का अनुपालन

बिहार कोल्ड स्टोरेज नियमावली 1993 का नियम-4 उपनियम (1) अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

बिहार कोल्ड स्टोरेज अधिनियम 1992 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति हेतु दिए जाने वाले आवेदन पत्र (प्रपत्र-2) दो प्रतियों में हस्ताक्षर कर आवश्यक कागज संलग्न कर जिला उद्यान कार्यालय में जमा होगा। इसके साथ स्टोर क्षमता की निर्धारित फीस मूल ट्रेजरी चालान पर लिखित (लेखा शीर्ष-0401-कृषि प्राप्ति-119-कोल्ड स्टोरेज फीस से आय) देना होगा।

इसी प्रकार नियम -12 के उपनियम (1) एवं (2) तथा नियम 13 के उपनियम (1) एवं (2) के अनुसार नवीकरण हेतु आवेदन (प्रपत्र-4) दो प्रतियों में हस्ताक्षर कर जमा करना होगा। इसके साथ स्टोर क्षमता की निर्धारित फीस/विलम्ब फीस मूल ट्रेजरी चालान प्रति पर (लेखा शीर्ष 0401-कृषि प्राप्ति-119- कोल्ड स्टोरेज फीस से आय) संलग्न कर जिला उद्यान पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा करते समय प्राप्ति रसीद आवेदक प्राप्त करेंगे। आवेदन पूर्ण रूप से 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक ही कार्यालय में जमा किया जायेगा। 31 दिसम्बर 2013 के उपरांत प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

बिहार कोल्ड स्टोरेज नियमावली 1993 के नियम (12) एवं (13) - अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए आवेदन पत्र देने की अवधि तथा प्रक्रिया:-

नियम 12 का उप नियम (1) : अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र उस वर्ष के लिये हो जिसके लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जाना अपेक्षित हो। पिछले वर्ष की, अधिक से अधिक 31 अक्टूबर तक जबतक कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक बढ़ाया न जाय। पूर्ण आवेदन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के पास पहुंच जाय।

परन्तु यह कि जहां धारा-6 के अधीन अनुज्ञप्ति 31 अक्टूबर को या उसके पश्चात् दी जाय, वहाँ अगले कलेण्डर वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र पूर्ववर्ती वर्ष के 31 दिसम्बर तक अधिक से अधिक दिया जा सकता है।

नियम 13 के उप नियम (1)- नियम 12 में विनिर्दिष्ट तिथि के पश्चात् किन्तु 31 दिसम्बर के पश्चात् नहीं, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र पर भी विहित नवीकरण फीस और ऐसी विलम्ब फीस जो अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए फीस की राशि के आधे के बराबर हो, देने पर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा।
चेक लिस्ट :

1. प्रपत्र- (2), (4) अथवा (7) पूर्ण रूप से प्रत्येक पन्ना पर प्रोपराइटर का पूर्ण हस्ताक्षर तिथि सहित भरा होना चाहिए।

2. क्षमता पर आधारित विहित शूलक को ट्रेजरी का मूल चालान (जि0उ0पदा0 द्वारा पारित, कोषागार का हस्ताक्षर/मुहर एवं बैंक का हस्ताक्षर एवं मुहर स्पष्ट रूप से अंकित) होना चाहिये।
3. बीमा पॉलिसी का अभिप्रमाणित छायाप्रति (पुराना अथवा नया) संलग्न होना चाहिये।
4. विगत वर्ष का अनुज्ञप्ति नवीकरण का छायाप्रति संलग्न होना चाहिये।
5. जिला उद्यान पदाधिकारी का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न होना चाहिये।
6. संचित कृषि उत्पाद का घोषित भार अंकित होना चाहिये।

निर्देश : संबंधित कोल्ड स्टोरेज प्रोपराइटर को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त के आलोक में आगामी कलेण्डर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक के लिए अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु 31 अक्टूबर तक एवं विलम्ब शूलक 31 दिसम्बर तक ट्रेजरी चालान द्वारा फीस जमा करने हेतु संबंधित कागजात जिला उद्यान पदाधिकारी को 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अन्यथा अनुज्ञप्ति नवीकरण पर विचार नहीं किया जायेगा। जिला उद्यान पदाधिकारी को अग्रसारित आवेदन की अग्रिम प्रति कोल्ड स्टोरेज स्वामी अथवा प्रबन्धक/प्रतिनिधि द्वारा उद्यान निदेशालय को भेजा जाय। अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ही भण्डारण करे अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

निर्देश : जिला उद्यान पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि कोल्ड स्टोरेज के अनुज्ञप्ति नवीकरण से संबंधित प्राप्त आवेदन को जाँचोपरांत चेक लिस्ट के अनुसार पंद्रह दिनों के अंदर उद्यान निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके लिए आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

कोल्ड स्टोरेज संबंधित सर्वेक्षण प्रपत्र

क्र.सं.	विवरण
1.	शीतगृह का नाम एवं पूर्ण पता :
2.	अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता :
	प्रखण्ड : जिला : मोबाईल नं० :
3.	अनुज्ञप्ति संख्या तिथि सहित :
4.	नवनिर्मित चैम्बर/कार्यरत चैम्बर की संख्या एवं क्षमता :
5.	निर्माणधीन चैम्बर की विवरणी : (अगर कोई हो)
6.	नवनिर्माण की स्थिति में कार्य प्रारंभ की तिथि एवं परिणाम :
7.	नवनिर्माण में अंकित क्षमता एवं चैम्बर की संख्या (घनमीटर में) :
8.	अनुज्ञप्ति नवीकरण की अवधि :
9.	अनुज्ञप्ति नवीकरण के पश्चात् किया गया क्षेत्रफल की क्षमता परिवर्तन :
10.	संचित कृषि उत्पाद/उत्पादन का नाम :
11.	संचित कृषि उत्पाद की मात्रा (क्वींटल में) :
12.	बीमा कराया गया या नहीं : (क) भवन, रैंक तथा इंसूलेशन (ख) मशीनरी (ग) संचित कृषि उत्पादन
13.	मोटर की अन्य कुल क्षमता (हॉर्स पावर किलोवाट में) :
14.	आवश्यक एवं स्वीकृत विद्युत भार :
15.	जलापूर्ति की व्यवस्था-स्रोत :
16.	कुलिंग यूनिट का विस्तृत क्षमता :

कोल्ड स्टोरेज
अनुज्ञप्ति धारक का हस्ताक्षर
एवं मोहर